न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 84 / 2012

वादी –

1. जगदीश पुत्र भेराराम
   जाति–जाट, निवासी–राजोद तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

1. तुलछीराम पुत्र भोलाराम
2. रामाकिशन पुत्र भोलाराम
3. जीवणराम पुत्र भोलाराम
4. धापूदेवी पत्नि भैराराम (फौत)
   4 / 1– भंवरी पुत्री धापूदेवी
   4 / 2– हीरा पुत्री धापूदेवी
   4 / 3– केशर पुत्री धापूदेवी
   4 / 4– पप्पू पुत्री धापूदेवी
   4 / 5– मनफूल पुत्री धापूदेवी
   जातियान–जाट, निवासीगण–राजोद तहसील जायल जिला–नागौर।
5. प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जायल
6. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा मांगलोद
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
8. उप पंजीयक महोदय, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका।

प्रतिवादी संख्या 2, 4 / 1 से 4 / 5, 5 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

राजस्व वाद 84/2012
जगदीश बनाम तुलछीराम वगैरह

निर्णय दिनांक :— 04.02.2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा स्व. भोलाराम के वंशज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी बढेर की सम्पति खसरा नं. 21, 25, 26, 37, 277, 278, 496, 513, 614, 629 अर्थात कुल रकबा 159.07 बीघा ग्राम राजोद में सहखातेदारी में रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सम्वत् 2030 के आस–पास स्व. भोलाराम के जीवनकाल में ही अलग–अलग होकर संयुक्त खातेदारी में ही काश्त करने हो गये। उक्त खसरा की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा निहित है तथा कानूनी तौर पर प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में फितुर पैदा हो जाने से मुतदाविया खेताय की भूमि का बगैर विभाजन कराये ही बैचान करने एवं खेतो व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है, अभी हाल ही में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता को ऐलानिया धमकिया दी है कि हम अच्छी जमीन पर कब्जा करेगें। दिनांक 28.03.2012 को ग्राम राजोद के खसरा नं. 614 रकबा 0.12 बीघा में नीव खुदवाकर दीवार निकालने की कोशित की है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ासे 3 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त की भूमि में परिवर्तन करने तथा दीवार निकालने के कारण मौजा राजदे में वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ है कि वाद में वर्णित खसरा नं. 21, 25, 26, 37, 277, 278, 496, 513, 614, 629 अर्थात कुल रकबा 159.07 बीघा ग्राम राजोद तहसील जायल की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 धापूदेवी को अपना कानूनी 1/4 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवारा करते हुये प्रत्येक खेत में दिलाया जावे तथा खसरा नं. 614 के मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2, 4/1 से 4/5, 6, 7, 8 के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालात नामा पेश किया। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 4 धापूदेवी फौत हो जाने पर दिनांक 09.09.2020 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के कायम मुकाम द्वारा अपना हक वादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये तर्कनामा के त्याग किये जाने का निवेदन किया। साथ ही हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य में राजीनामा हो जाने पर उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान वकील श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान वकील श्री गोविन्दराम ढाका ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से वकालातनाम पेश करते हुये की।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही तथा प्रतिवादी संख्या 4 के फौत होने उसके कायम मुकाम द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में हकतर्क कर दिये जाने तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) कायम की एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से तनकीयात् कायम नही की गई। तथा वकुलाय के द्वारा प्रकरण मे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कराने के निवेदन पर साक्ष्यवादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई तथा मिसल वास्ते बहस नियत की गई।

वकुलाय के निवेदन पर बहस उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ, प्रतिवादी संख्या 4 के फौत होने पर उसके कायम मुकाम 4/1 से 4/5 द्वारा वादी के पक्ष में किया गया हकतर्कनामा, व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 09.09.2020 का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है तथा माफिक राजीनामे के बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयोजित होने से न्यायिक दृष्टिकोण को मध्य नजर रखते हुये वादीगण का वाद आंशिक तौर पर स्वीकार जाकर दिनांक 28.07.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

प्रकरण हाजा में प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना तहसीलदार जायल द्वारा की गई तथा पक्षकारान के मध्य किया गया मुतदाविया खेतायों का बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/603 दिनांक 04.02.2021 को प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) विहित है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री तैयार किये जाने से पूर्व मौके पर उपस्थिति हेतु संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया। पक्षकारान मे से वादी जगदीश, प्रतिवादी संख्या संख्या 1, 2 3, क्रमशः तुलछीराम, रामाकिशन, जीवणराम उपस्थित हुये। तथा बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की तथा पक्षकारान के मध्य में मुतदाविया खेतायो का माफिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 01.02.2021 में वर्णनानुसार विभाजन प्रस्ताव (पी.डी. रिपोर्ट) के अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये तथा वकील वादी एवं राजपैरोकार द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर दिनांक 04.02.2021 में वर्णन अनुसार ग्राम राजोद तहसील जायल मुतदाविया खेताय खसरा नं. 21, 25, 26, 277, 278, 37, 496, 513, 614, 629 के संबंध में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव (प्राथमिक डिक्री) अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश : —

यत् वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में ग्राम राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 21, 25, 26, 277, 278, 37, 496, 513, 614, 629 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्र में पारीत प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 29.12.2020 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 37, 496, 278 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 629 में से रकबा 0.3764 हैक्टैयर, खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0214

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल * (एस.डी.ओ.)

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

हैक्टैयर, खसरा नं. 26 रकबा 0.6195 हैक्टेयर भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट/नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

2. प्रतिवादी 1 तुलछीराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 25 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 26 में से रकबा 3.3714 हैक्टैयर, खसरा नं. 629 में से 0.3763 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0214 हैक्टैयर, भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट/नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामाकिशन हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 277, 513 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 26 में से रकबा 0.314 हैक्टैयर, खसरा नं. 629 में से 0.3763 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0217 हैक्टैयर, भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट/नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 जीवणराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 21 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 26 में से रकबा 3.1285 हैक्टैयर, खसरा नं. 629 में से 0.3764 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0214 हैक्टैयर, भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट/नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
5. तहसीलदार जायल से दिनांक 04.02.2021 को प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04/02/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

04/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

सहायक कलेक्टर * जायल (एस.डी.ओ.)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी -

राजस्व वाद संख्या :- 84/2012

1. जगदीश पुत्र भेराराम जाति-जाट, निवासी-राजोद तहसील-जायल (नागौर)

वादीगण -

बनाम

1. तुलछीराम पुत्र भोलाराम
2. रामाकिशन पुत्र भोलाराम
3. जीवणराम पुत्र भोलाराम
4. धापूदेवी पत्नि भैराराम (फौत)
   4/1- भंवरी पुत्री धापूदेवी
   4/2- हीरा पुत्री धापूदेवी
   4/3- केशर पुत्री धापूदेवी
   4/4- पप्पू पुत्री धापूदेवी
   4/5- मनफूल पुत्री धापूदेवी
   जातियान-जाट, निवासीगण-राजोद तहसील जायल जिला-नागौर।
5. प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जायल
6. प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा मांगलोद
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
8. उप पंजीयक महोदय, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका।
प्रतिवादी संख्या 2, 4/1 से 4/5, 5 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय

- डिक्री आदेश -

दिनांक 04.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री गोविन्दराम प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/5, 6, 7, 8 अनुउपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

1. वादी जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 37, 496, 278 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 629 में से रकबा 0.3764

04/02/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

हैक्टैयर, खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0214 हैक्टैयर, खसरा नं. 26 रकबा 0.6195 हैक्टेयर भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट / नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

2. प्रतिवादी 1 तुलछीराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 25 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 26 में से रकबा 3.3714 हैक्टैयर, खसरा नं. 629 में से 0.3763 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0214 हैक्टैयर, भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट / नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामाकिशन हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 277, 513 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 26 में से रकबा 0.314 हैक्टैयर, खसरा नं. 629 में से 0.3763 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0217 हैक्टैयर, भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट / नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 जीवणराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा राजोद तहसील जायल के खसरा नं. 21 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नं. 26 में से रकबा 3.1285 हैक्टैयर, खसरा नं. 629 में से 0.3764 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 614 में से रकबा 0.0214 हैक्टैयर, भूमि माफिक पीडी रिपोर्ट / नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

04/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज — **मुबलिग** — **बाबत्** — खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें।

बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/02/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर